..य उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

..न अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
.. विविध प्रकरण GCMS NO 2022 / 80

.ायरा तिथि : 07.03.2022

आदेश तिथि : 08-09-22

प्रार्थी :–
मोहनलाल धनेरा पुत्र श्री देवाराम धनेरा जाति ब्राह्मण
निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक 08-09-22

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम 68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 455 रकबा 1.1600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मे आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा नाना के खसरा नंबर 436 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थांन राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जरिये पत्रांक : राजस्व / 2022 / 2484 दिनांक 05.08.2022 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की।

तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. ग्राम नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 455 रकबा 1.1600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि प्रार्थी मोहनलाल धनेरा पुत्र श्री देवाराम धनेरा जाति ब्राह्मण निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं हैं।
2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	436	1.25 हैक्टर	बा.अ.	80 X 9 = 720 वर्गमीटर (0.072 हैक्टर)	राजकीय सिवाय चक भूमि

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम नाना की डी.एल.सी.दर 271310 /– रूपये प्रति हैक्टर है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नही है। अतः अन्य कोई भी क्षति नही होगी तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे वकील प्रार्थी श्री मुकेश धनेरा व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जरिये पत्रांक : राजस्व / 2022 / 2484 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012

पेज लगातार—2

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/80

अनवान मोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 455 रकबा 1.1600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा नाना के खसरा नंबर 436 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मे से **80 X 8 = 640** वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नवशा मौका **खसरा नंबर 434 के सटता हुआ गुलाबी रंग से दर्शित ट्रैक** के अनुरूप रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 271310/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
436	1.2500	**80 X 8 = 640** वर्गमीटर	27.13	17363 X2=34726	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **34726/– (अक्षरे चौतीस हजार सात सौ छब्बीस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहला नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पत्रांक : कोर्ट/2022/3509-3513 दिनांक : 22-09-2022

<u>प्रतिलिपि पालनार्थ</u> :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक नाना
3. पटवारी हल्का नाना
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री मोहनलाल धनेरा पुत्र श्री देवाराम धनेरा जाति ब्राह्मण निवासी चाामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner